**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.03.2025**

**थाना इदिंरापुरम पुलिस टीम द्वारा फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वादी को ब्लैकमेल कर/भय दिखाकर वादी के साथ धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।**

**कार्यवाही का विवरणः-** दिनांक 03.03.2025 को थाना इंदिरापुरम पर वादी श्री सीताराम पाण्डेय निवासी सैक्टर 4बी वसुन्धरा थाना इन्दिरापुरम, गाजियाबाद द्वारा उनके साथ अभियुक्ता व उसके पति अनिल कुमार द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर वादी को कई महिनों से कभी अपनी बहन की मृत्यू की झूठी सूचना देकर/ब्लैकमैल करके व फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर भय दिखाकर धोखाधड़ी करते हुये बार-बार पैसे हड़प लेने के सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर धारा 319(2),318(2),316(2),308(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 04.03.2025 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वादी को ब्लैकमेल कर/भय दिखाकर वादी के साथ धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र श्रीनारायण सिंह निवासी बी 437 गली न0 2 गणेश नगर 2 शकरपुर दिल्ली 92 उम्र करीब 38 वर्ष व 01 अभियुक्ता को वसुन्धरा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरणः–** गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त व अभियुक्ता दोनों पति-पत्नी है तथा वादी श्री सीताराम पाण्डेय से बहुत पहले से परिचित है, दोनों की शादी भी वादी के द्वारा ही करायी गयी थी, पति अनिल कुमार की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण दोनों लोगो ने साथ मिलकर साजिश कर वादी को अपनी मजबूरी बताकर पैसे लेते रहते थे परन्तु कुछ दिनों से वादी के द्वारा दोनों को पैसे नही दिए जा रहे थे। जिस कारण दोनों पति-पत्नी ने षडयंत्र के तहत अपनी बहन की मृत्यू की झूठी खबर देकर व फर्जी पुलिस अधिकारी से बात कराकर ब्लैकमेल कराकर व भय दिखाकर पैसे हड़प रहे थे और उन पैसों को अपनी जरुरतों में खर्च कर रहे थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पताः-**

1. अनिल कुमार पुत्र श्रीनारायण सिंह निवासी बी 437 गली न0 2 गणेश नगर 2 शकरपुर दिल्ली 92 उम्र करीब 38 वर्ष।
2. अभियुक्ता

**गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-**

- गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।